रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2006/माघ 19, 1927
No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2006/MAGHA 19, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2006

का.आ. 191(अ).— स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् सिमी कहा गया है) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं और जिनसे देश की शांति और सांप्रदायिक सामंजस्य के विक्षुब्ध और देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होने की संभावना है ;

केन्द्रीय सरकार ने, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 960(अ), तारीख 27.9.2001 द्वारा सिमी को विधिविरूद्ध संगम घोषित किया था । सिमी को विधिविरूद्ध संगम घोषित करने के लिए विस्तृत आधार उक्त अधिसूचना में दिए गए थे । इस बारे में कि क्या सिमी को विधि-विरूद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया गया था और अधिकरण ने तारीख 26.3.2002 के आदेश द्वारा पाबंदी को वैध ठहराया था । सिमी ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त था जिसके लिए उसपर पूर्व में भी पाबंदी लगाई गई थी, सिमी पर अधिसूचना सं. का.आ. 1113(अ) तारीख 26.9.2003 के द्वारा नए सिरे से पाबंदी लगाई गई

थी । पाबंदी के संबंध में न्यायनिर्णयन करने के लिए विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया गया था और अधिकरण द्वारा तारीख 23.3.2004 के आदेश द्वारा उक्त पाबंदी को वैध ठहराया गया था ;

और अब केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सिमी के कार्यकर्ता अपने को उसी कारण से सांप्रदायिक और राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त किए हुए हैं जिनके लिए संगठन पर पूर्व में पाबंदी लगाई गई थी । सिमी के क्रियाकलाप शांति, एकता तथा भारतीय समाज के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को हानि पहुंचाने वाले हैं ;

और केन्द्रीय सरकार की आगे भी यह राय है कि यदि सिमी के विधि-विरूद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया और नियंत्रण नहीं किया गया तो उसे -

(i) अपनी विध्वंसकारी गतिविधियां जारी रखने और अपने कार्यकर्ताओं, जो अभी भी फरार हैं, को पुनःसंगठित करने ;

(ii) सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करके लोगों के दिमाग को दूषित करके देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को विच्छिन्न करने ;

(iii) राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार करने ; और

(iv) उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढावा देने,

का अवसर प्राप्त होगा ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि, सिमी के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, सिमी को तत्काल विधिविरूद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, ऐसे किसी आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, इस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 14017/7/2005-एनआई-III]

बी. ए. कुटीनो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2006

S.O. 191(E).— Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the SIMI) has been indulging in activities, which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the SIMI to be an unlawful association vide notification No. S.O.960 (E) dated 27.09.2001. The detailed grounds for declaring SIMI as unlawful association were given in the said notification. The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal was constituted for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the SIMI as unlawful association and the Tribunal upheld the ban vide Order dated 26.03.2002. As SIMI contained to be indulged in activities for which it was banned earlier a fresh ban was imposed on SIMI vide notification No. S.O. 1113 (E) dated 26.09.2003. The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal constituted to adjudicate the ban and the ban was upheld by the Tribunal vide Order dated 23.03.2004;

And whereas, now the Central Government is of the opinion that the activists of SIMI are still indulging themselves in the communal and anti-national activities for the reason that the organization was banned earlier. The activities of SIMI are detrimental to the peace, integrity and maintenance of the secular fabric of Indian society and that it is an unlawful association.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to -

(i) continue their subversive activities and re-organize its activists who are still absconding;

(ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal dis-harmony;

(iii) propagate anti-national sentiments;

(iv) escalate secessionism by supporting militancy ;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SIMI, it is necessary to declare the SIMI to be an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/7/2005-NI-III]

B. A. COUTINHO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.